भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4188

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

नदी घाटों का सौन्दर्यीकरण

4188. श्री शंकर लालवानी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदी घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किए गए आवेदन लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस हेतु निधि की मंजूरी कब तक मिलने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) घाट सफाई कार्य की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतों की होती है। तथापि, जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा तीन वर्षों के लिए 15 करोड़ रूपए की लागत पर वाराणसी में 84 घाटों की सफाई संबंध कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। तदुपरांत, हरिद्वार (72 घाट) बिठूर (19 घाट), कानपुर (20 घाट), इलाहाबाद (21 घाट) और मथुरा-वृंदावन (27 घाट) में घाट सफाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में राज्य सरकारों का घाट सफाई संबंधी कोई आवेदन लंबित नहीं है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी पर नदी तट विकास तथा घाटों के निर्माण/नवीकरण/आधुनिकीकरण कार्य भी शुरू किया गया है।

******